तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस / एलआर / 2005/ 6096 / नागौर** **सरकार बनाम हनुमानसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री केसर लाल मीणा, सदस्य

उपस्थित :–
श्री शिशिर कुमार विजयवर्गीय, उप राज. अभि. प्रार्थी

अभिभाषक अप्रार्थी अनुपस्थित,

दिनांक : 01 जनवरी, 2026

आदेश

1– यह रेफरेंस न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा–82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 15–9–2005 द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है।

2– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि मौजा चिनावा की मिसल बन्दोबस्त 2008 से 2027 के खाता संख्या–191 में खसरा नम्बर–276/1 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा किस्म भूमि गैर मुमकिन नाडी राजकीय भूमि दर्ज है। उक्त भूमि की खातेदारी नारायणसिंह पुत्र बोधसिंह, कौम राजपूत साकिन चिनावा के हक में तहसीलदार नांवा के आदेश क्रमांक एलआर/एन/804 दिनांक 23–6–58 के द्वारा दर्ज कर जमाबन्दी संवत 2018 से 2021 में इन्द्राज किया गया। भू प्रबन्ध 2046 से 2065 के खाता संख्या 294 के अनुसार खसरा नम्बर–846 रकबा 1.27 हैक्टेयर गैर मुमकिन नाडी व खसरा नम्बर–1266/840 रकबा 0.07 हैक्टेयर गैर मुमकिन नाडी की खातेदारी हनुमानसिंह पुत्र नारायणसिह राजपूत (अप्रार्थी संख्या–1) के नाम दर्ज हो गई तथा खसरा नम्बर–1266/840 रकबा 0.07 हैक्टेयर भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या–1 ने अप्रार्थी संख्या–2 से 5 को करने से उनके नाम खातेदारी दर्ज हुई, जो बिल्कुल गलत है। भू–प्रबन्ध 2008–2027 में दर्ज गैर मुमकीन नाडी की भूमि को आवंटन किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाडी होने के कारण इस भूमि का

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस / एलआर / 2005/ 6096 / नागौर** **सरकार बनाम हनुमानसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आवंटन नहीं किया जा सकता था। आवंटन विधि विरूद्ध होने के कारण खातेदारी अधिकार भी विधि विरूद्ध है। उक्त आवंटन डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02–08–2004 में दिए गए निर्देशों के विपरीत है। अतः विवादित भूमि को सिवायचक किस्म गैर मुमकिन नाडी दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावें। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए। बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15–9–2005 द्वारा यह रेफरेंस मण्डल को प्रेषित किया है। 3– हमने विद्वान उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी। 4– योग्य उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अनुसार समस्त नदियां, नाले, झीलें और तालाब आदि राज्य सरकार के स्वामित्व की है, जिसका आवंटन / नियमन खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–16 के अनुसार किया जाना नियम विरूद्ध है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाडी होने के कारण उक्त आवंटन डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–08–2004 के परिप्रेक्ष्य में अविधिक है। अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन व इसके आधार पर राजस्व अभिलेख में किए गए अंकन को निरस्त किया जाकर भूमि को पूर्व की भांति सिवायचक गैर मुमकिन नाडी दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावें। 5– हमने विद्वान उप राजकीय अभिभाषक के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। 6– पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है मौजा चिनावा की मिसल बन्दोबस्त 2008 से 2027 के खाता संख्या–191 में खसरा नम्बर–276/1 रकबा 8	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेंस / एलआर / 2005/ 6096 / नागौर</u>** **सरकार बनाम हनुमानसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बीघा 6 बिस्वा किस्म भूमि गैर मुमकिन नाडी राजकीय भूमि दर्ज है। उक्त भूमि की खातेदारी नारायणसिंह पुत्र बोधसिंह, कौम राजपूत साकिन चिनावा के हक में तहसीलदार नांवा के आदेश क्रमांक एलआर/एन/804 दिनांक 23–6–58 के द्वारा दर्ज कर जमाबन्दी संवत 2018 से 2021 में इन्द्राज किया गया। भू प्रबन्ध 2046 से 2065 के खाता संख्या 294 के अनुसार खसरा नम्बर–846 रकबा 1.27 हैक्टेयर गैर मुमकिन नाडी व खसरा नम्बर–1266/840 रकबा 0.07 हैक्टेयर गैर मुमकिन नाडी की खातेदारी हनुमानसिंह पुत्र नारायणसिह राजपूत (अप्रार्थी संख्या–1) के नाम दर्ज हो गई तथा खसरा नम्बर–1266/840 रकबा 0.07 हैक्टेयर भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या–1 ने अप्रार्थी संख्या–2 से 5 को करने से उनके नाम खातेदारी दर्ज हुई, जो बिल्कुल गलत है। चूँकि राजस्व अभिलेख के अनुसार विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाडी होना स्पष्ट है जो कि जलस्त्रोत की भूमि है तथा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आती है। विवादित भूमि भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि है एवं उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित श्रेणी में आने के कारण राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम, 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं है एवं उक्त भूमि पर विपक्षीगण को खातेदारी अधिकार भी प्रोद्भूत नहीं होते हैं तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 02–08–2004 पारित करते हुए नाला, नदी, तालाब व नाड़ी इत्यादि की भूमियों के खातेदारी में दर्ज होने पर उसे निरस्त करने की कार्यवाही के आदेश प्रदान किये है। उपरोक्त विधिक स्थिति के परीप्रेक्ष्य में हम राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश को निरस्त कर विवादित भूमि की किस्म पूर्व की भांति सिवायचक गैर मुमकिन नाडी दर्ज किया जाना उचित समझते है। 7– फलस्वरूप यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन, इसके आधार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेंस / एलआर / 2005/ 6096 / नागौर</u>** **सरकार बनाम हनुमानसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर खोले गये नामान्तरकरण एवं आदिनांक तक राजस्व अभिलेख में किये गये अंकन को निरस्त किया जाता है तथा मौजा चिनावा के खसरा नम्बर–846 रकबा 1.27 हैक्टेयर, गैर मुमकिन नाडी एवं खसरा नम्बर 1266/840 रकबा 0.07 हैक्टेयर गैर मुमकिन नाडी की खातेदारी अप्रार्थी संख्या–1 से 5 के नाम हटाई जाकर पुनः राजकीय खाते में सिवायचक गैर मुमकिन नाडी के रूप में राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते है। 8– आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णीत इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(केसर लाल मीणा)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस / एलआर / 2005/ 6096 / नागौर** **सरकार बनाम हनुमानसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए